

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 44/22
(जीसीएमएस संख्या 2022/92)

निर्णय दिनांक: 09-11-2023

1. प्रेमनाथ पुत्र श्री देवनाथ जाति नाथ निवासी चक 12 केवाईडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट



अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 15-03-2003
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 15-03-2003 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल का गरीब चयनित परिवार का काश्तकारी पेशा भूमिहीन किसान है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र वर्ष 1983 में पेश किया था जो लम्बे अर्से बाद वर्ष 2003 में अपने रिकार्ड पर लेकर बिना सूचना दिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा वर्ष 1983 अथवा उससे पूर्व का चयनित होने बाबत प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वांछित सबूत के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15-03-2003 के विरुद्ध अपील दिनांक 08-03-22 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।




5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15-03-2003 के विरुद्ध अपील दिनांक 08-03-2022 को प्रस्तुत की गई है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष ग्रामीण एकीकृत योजनान्तर्गत चयनित होने के आधार पर आवंटन की इस्तदुआ की गई थी। उक्त प्रार्थना पत्र अपीलांट की पीठ पीछे निर्णय किया गया है। जबकि अपीलांट का आवेदन पत्र पूर्ण था। आवंटन अधिकारी के कार्यालय की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होने तथा कथित रूप से जारी नोटिस की समुचित तामिली के अभाव में अपेक्षा नहीं की जा सकती कि आवंटन अधिकारी के निर्णय से आवेदक सूचित हुआ हो। अपील पेश करने में हुए विलम्ब के कारण संतोषजनक होन के कारण विलम्ब का शमन किया जाता है।




प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट/आवेदक गोरधन ने राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण एकीकृत योजनान्तर्गत चयनित होने के आधार पर आवंटन हेतु दिनांक 19-10-1983 को आवेदन पत्र पेश किया। उक्त आवेदन पत्र पेश होने के 2. साल बाद कथित रूप से दिनांक 15-03-2003 को साईक्लोस्टाईल नोटिस जारी किया गया कि आवेदन के साथ चयनित होने का प्रमाण पत्र नहीं है तथा भूमि आवंटन हेतु अन्य कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं होने का प्रमाण पत्र नहीं है। इसके उपरान्त आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 15-03-2002 को साईक्लोस्टाईल आदेश के तहत चयनित होने के प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश की प्रति आवेदक को उपलब्ध नहीं करवाई गई। आवंटन अधिकारी द्वारा जारी उक्त अपीलाधीन आदेश आवेदक/अपीलांट को सुने बिना वांछित दस्तावेजों पर गौर किये बिना तथा मनमानीपूर्ण तरीके से जारी किया गया आदेश है। जो विधि सम्मत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।


राज्य अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलाट् की अपील स्वीकार की जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15-03-2003 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, पूगल को रिमाण्ड किया जाता है कि वे अपीलाट् के आवेदन पत्र पर अपीलाट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।



निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 9/11/23 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर